कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा राय सिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि जोधपुरा जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि गोहड़ का तला, धनाऊ जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध राय सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1807/2021 राय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1807/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री राय सिंह को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में आगामी दो सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस की अवधि में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पुत्र की अस्वस्थता, माता–पिता की वृद्धावस्था एवं स्थानान्तरित स्थान के अत्यधिक दूर होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि खाखोली, मौलासर जिला नागौर/राउमावि बेगसर, मौलासर जिला नागौर अथवा राउमावि आकोदा, मौलासर जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों को माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। जहां तक याचिकार्थी को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता अथवा विद्यार्थी हित में नियोक्ता द्वारा राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। विभाग की प्राथमिकता रहती है कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिले में भी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने एवं विद्यार्थी हित में इन जिलों में भी प्रधानाचार्य पद पर प्राथमिकता से पदस्थापन किया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास मित्तल के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री राय सिंह द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राय सिंह/1807/2021/250 दिनांकः 18.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री राय सिंह, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

18-6-21

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)